भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3122

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2026

पश्चिम बंगाल में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और संकुल

3122. श्री कार्तिक चन्द्र पॉलः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में पंजीकृत और कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों का उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के साथ क्षेत्रक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एकीकृत एमएसएमई संकुल या सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के विकास के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले जहां जूट, चावल, गन्ना, सरसों का उत्पादन होता है तथा पारंपरिक टेराकोटा और हस्तशिल्प उद्योग हैं, की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर दिनाजपुर जिले में लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), क्रेडिट गारंटी फंड और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि जैसी केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सहायता का, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि-प्रसंस्करण और पारंपरिक शिल्प में जिले की संभावनाओं को देखते हुए इसके लिए एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय अथवा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर दिनाजपुर के कारीगरों और बुनकरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और जीआई-टैग प्राप्त उत्पाद संवर्धन योजनाओं से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के अनुसार, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2026 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों की कुल संख्या 1,78,042 है, जिनमें से 19,837 एमएसएमई विनिर्माण, 54,090 सेवा और 1,04,115 व्यापार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

(ख) : एमएसएमई मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल राज्य में अब तक 09 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) और 09 अवसंरचनात्मक विकास (आईडी) परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। वर्तमान में, एमएसई-सीडीपी के तहत पश्चिम बंगाल सरकार से उत्तर दिनाजपुर जिले के लिए कोई भी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) : गत पांच वर्षों के दौरान उत्तर दिनाजपुर जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), क्रेडिट गारंटी फंड जैसी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमईजीपी के तहत उत्तर दिनाजपुर जिले में सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या और उन्हें संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी		
वित्त वर्ष	**सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या**	**संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी (करोड़ रुपए में)**
2021-22	64	2.06
2022-23	28	0.92
2023-24	6	0.25
2024-25	6	0.27
2025-26	6	0.50

सीजीएस-अनुमोदित गारंटियां-उत्तर दिनाजपुर		
वित्त वर्ष	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि(करोड़ रुपए में)**
2021-22	448	29
2022-23	624	64
2023-24	2,065	140
2024-25	6,372	311
2025-26	4,420	384

(घ) : आज की तारीख तक, उत्तर दिनाजपुर जिले में एमएसएमई विकास कार्यालय या एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) : एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई नवोन्मेषी स्कीम के आईपीआर घटक के माध्यम से, भौगोलिक संकेतक (जीआई) सहित, जिसके तहत पात्र आवेदकों को अधिकतम 2 लाख रुपए के अधीन प्रति जीआई पंजीकरण के लिए वहन की गई वास्तविक लागत का 100% जीआई पंजीकरण की प्रतिपूर्ति प्रदान कर बौद्धिक संपदा के संरक्षण और वाणिज्यिककरण के लिए सहायता प्रदान करता है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, कारीगरों और बुनकरों को निम्नलिखित (i) इंडियाहैंडमेड ई-कॉमर्स पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग; (ii) बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी)/हस्तशिल्प सेवा केंद्रों (एचएससी) के माध्यम से सुविधा; (iii) जीआई-टैग और ओडीओपी उत्पाद का संवर्धन; और (iv) क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
